RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 338
दि. 11.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूपी बनेगा मेडिकल हब: फार्मा और डिवाइस पार्क से सस्ता होगा इलाज, स्वास्थ्य क्रांति की दिशा में बड़ा कदम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर एक नई और व्यापक दिशा तय होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को चिकित्सा और फार्मा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस योजना की घोषणा और विस्तार किया है, उसे विशेषज्ञ राज्य में "स्वास्थ्य क्रांति की नींव" मान रहे हैं। सरकार का लक्ष्य केवल इलाज उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि इलाज को सस्ता, सुलभ और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि मरीजों को महंगे इलाज और बाहर निर्भरता से राहत मिल सके।

प्रदेश सरकार अब मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क के बड़े नेटवर्क को विकसित कर रही है, जहां एक ही जगह पर शोध, निर्माण, परीक्षण और नवाचार की पूरी प्रक्रिया को जोड़ा जाएगा। इस मॉडल में देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान जैसे आईआईटी के इंजीनियर और मेडिकल विशेषज्ञ डॉक्टर मिलकर नए चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक मशीनों और दवाओं के विकास पर काम करेंगे। सरकार का मानना है कि जब रिसर्च और उत्पादन एक ही इकोसिस्टम में होंगे तो लागत कम होगी और उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश केवल उपभोक्ता राज्य नहीं रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य तकनीक और दवाओं का बड़ा उत्पादक केंद्र बनकर उभरेगा। अभी तक चिकित्सा उपकरण और कई महत्वपूर्ण दवाएं अन्य राज्यों या विदेशों से आयात की जाती हैं, जिससे इलाज की लागत बढ़ जाती है। लेकिन इन पार्कों के विकसित होने के बाद राज्य में ही अधिकांश जरूरतों की पूर्ति संभव हो सकेगी, जिससे अस्पतालों और मरीजों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा।

पिछले एक दशक में प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य संरचना में हुए बदलाव को भी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 साल पहले जहां उत्तर प्रदेश में केवल 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज यह संख्या बढ़कर 81 हो चुकी है। यह विस्तार केवल संख्या का नहीं बल्कि गुणवत्ता और पहुंच का भी विस्तार है, क्योंकि अब छोटे शहरों और जिलों में भी मेडिकल शिक्षा और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

इसके साथ ही प्रदेश में दो एम्स (AIIMS) पहले से संचालित हैं, जिससे गंभीर रोगों के इलाज के लिए मरीजों को अब बड़े शहरों या अन्य राज्यों में जाने की जरूरत कम हुई है। हर जिले में आईसीयू सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दावा भी सरकार कर रही है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। लखनऊ स्थित पीजीआई और केजीएमयू जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में अब टेली-आईसीयू और टेली-कन्सल्टेंसी जैसी डिजिटल सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसका मतलब यह है कि दूर-दराज के अस्पतालों में बैठे डॉक्टर भी बड़े संस्थानों के विशेषज्ञों से तुरंत सलाह लेकर मरीज का इलाज कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं की पहुंच बढ़ी है।

सरकार का दावा है कि इन प्रयासों की वजह से उत्तर प्रदेश अब "बीमारू राज्य" की श्रेणी से बाहर निकल चुका है और तेजी से विकसित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के इलाज पर सरकार भारी निवेश कर रही है। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के तहत लगभग 1400 करोड़ रुपये की सहायता गंभीर बीमारियों के इलाज में दी गई है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के नागरिकों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रह जाए। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से गरीब तबके की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत हुई है और अस्पतालों में इलाज की पहुंच बढ़ी है।

फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना को लेकर सरकार का फोकस केवल उत्पादन पर नहीं है, बल्कि नवाचार और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देना है। इन पार्कों में नए स्टार्टअप को रिसर्च और उत्पादन की सुविधा दी जाएगी, ताकि भारत में ही उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण तैयार किए जा सकें। इससे न केवल देश की आयात निर्भरता कम होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह योजना पूरी तरह लागू हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश देश का एक प्रमुख मेडिकल हब बन सकता है। इसका असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम होगी और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में केवल इलाज पर नहीं बल्कि "बचाव और जागरूकता" पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि लोग बीमारियों से पहले ही सतर्क रहें। विशेषकर हृदय रोग, मधुमेह और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में जागरूकता बेहद जरूरी है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों से अपील की गई है कि वे केवल इलाज तक सीमित न रहें, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करें।

सरकार का मानना है कि यदि तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं एक साथ आगे बढ़ें, तो उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में देश के सबसे विकसित स्वास्थ्य राज्यों में शामिल हो सकता है। मेडिकल डिवाइस और फार्मा पार्क इसी दिशा में एक निर्णायक कदम माने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में इलाज को न केवल सस्ता बल्कि अधिक सुलभ और प्रभावी भी बनाएंगे।

अमित शाह का पश्चिम बंगाल में बड़ा हमला, बोले– 'ममता सरकार ने स्कूल नहीं, मदरसे बनवाए'; घुसपैठ और बाढ़ मुद्दे पर घेरा TMC

पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा और सीधा हमला बोला। उन्होंने विकास, शिक्षा, बाढ़ प्रबंधन और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाते हुए ममता बनर्जी सरकार को कठघरे में खड़ा किया और भाजपा की सरकार बनने पर बड़े बदलावों का दावा किया।

सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय एकतरफा प्राथमिकताएं तय की हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर स्कूलों और शैक्षिक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता थी, वहीं दूसरी ओर राज्य में मदरसा निर्माण को बढ़ावा दिया गया, जिससे शिक्षा व्यवस्था का संतुलन प्रभावित हुआ है। शाह के इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

अमित शाह ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल के घाटाल क्षेत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये की घाटाल मास्टर प्लान परियोजना तैयार की थी, जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना था। लेकिन उनके अनुसार, राज्य सरकार ने इस योजना को स्वीकार करने के बजाय इसे आगे नहीं बढ़ाया, जिससे स्थानीय लोगों को हर साल नुकसान झेलना पड़ रहा है।

गृह मंत्री ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो एक साल के भीतर घाटाल मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने पर इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए ठोस और तेज़ कदम उठाए जाएंगे, जिससे लोगों को हर साल होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी।

सभा के दौरान अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है और इस समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। शाह ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो राज्य से हर अवैध प्रवासी की पहचान कर उसे कानून के अनुसार बाहर किया जाएगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है।

इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी के नेतृत्व पर भी हमला बोला। शाह ने आरोप लगाया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जनता के विकास की बजाय अपने राजनीतिक हितों पर अधिक ध्यान दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी के भीतर परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर भी असंतोष की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हुए दावा किया कि राज्य में वास्तविक मुद्दों की बजाय राजनीतिक उत्तराधिकार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

अमित शाह ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव चाहते हैं और उन्हें बेहतर शासन, विकास और सुरक्षा की आवश्यकता है। उन्होंने भाजपा की सरकार बनने पर पारदर्शी प्रशासन, तेज विकास और कानून-व्यवस्था में सुधार का वादा किया।

सभा में मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए शाह ने बार-बार यह दोहराया कि राज्य में विकास की गति को तेज करने और जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार की नीतियां हैं।

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल और अधिक गरम हो गया है। एक ओर भाजपा राज्य में सत्ता परिवर्तन की बात कर रही है, वहीं टीएमसी लगातार इन आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाती रही है।

आने वाले दिनों में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति और अधिक रोचक और संघर्षपूर्ण होती नजर आ रही है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, असम केस में एक सप्ताह की अंतरिम राहत

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को असम में दर्ज एक मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से एक सप्ताह की अग्रिम जमानत मिल गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक बयानबाज़ी और आरोप-प्रत्यारोप को लेकर देश की राजनीति पहले से ही गर्म है। कोर्ट ने साफ किया है कि यह राहत सीमित अवधि के लिए है और इस दौरान उन्हें कानून के दायरे में रहकर जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा। जानकारी के अनुसार, यह मामला 5 अप्रैल को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनके परिवार को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के पास एक से अधिक पासपोर्ट हैं और उनके पास विदेशों में संपत्तियां भी मौजूद हैं, जिनका उल्लेख मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। इन आरोपों के बाद असम में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। असम पुलिस और संबंधित एजेंसियों की कार्रवाई की आशंका को देखते हुए पवन खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

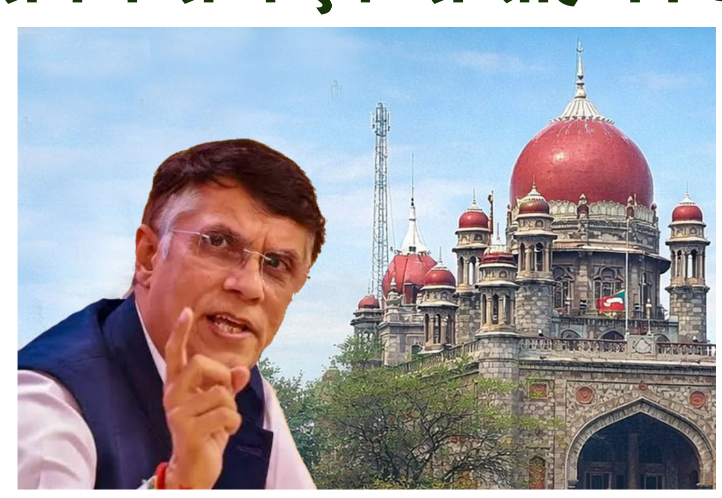

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह जमानत स्थायी नहीं है और केवल सात दिनों के लिए मान्य होगी। इस अवधि के भीतर पवन खेड़ा को संबंधित अदालत या जांच एजेंसी के समक्ष पेश होकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और याचिकाकर्ता को पूरा सहयोग करना होगा।

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसे राहत बताते हुए कहा है कि यह न्यायिक प्रक्रिया में एक अस्थायी सुरक्षा है और इसका मतलब यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष के नेताओं का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान यदि गंभीर आरोपों से जुड़े हों तो उनकी जांच होना जरूरी है ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके।

पवन खेड़ा लंबे समय से कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं और वे टीवी डिबेट्स तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं। ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर एक मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अग्रिम जमानत का मतलब केवल गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा है, जबकि मूल मामले की जांच और सुनवाई अभी जारी रहेगी। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि या खंडन से जुड़े तथ्य सामने आते हैं तो आगे की कानूनी दिशा उसी आधार पर तय होगी।

फिलहाल पवन खेड़ा को मिली यह एक सप्ताह की राहत उन्हें अस्थायी रूप से गिरफ्तारी से सुरक्षा देती है, लेकिन उन्हें निर्धारित समय सीमा में जांच एजेंसियों के सामने पेश होना अनिवार्य होगा। आने वाले दिनों में इस मामले में और राजनीतिक बयानबाज़ी और कानूनी कार्रवाई दोनों तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम तेज केंद्र और विपक्ष में तीखी बयानबाज़ी

नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। संसद में पारित "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" के लागू होने की समयसीमा और इसके क्रियान्वयन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा सरकार पर 2029 के चुनावों के बाद इसे लागू करने के आरोप लगाने के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए खरगे के बयान को जवाब दिया और कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक श्रेय लेने का नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा, प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण का है। उन्होंने लिखा कि देश की महिलाएं केवल वादों की नहीं, बल्कि ठोस नतीजों की हकदार हैं, और अब समय आ गया है कि दशकों से लंबित इस मुद्दे को वास्तविकता में बदला जाए।

केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा कि महिला आरक्षण का विचार नया नहीं है, लेकिन इसे वास्तविक रूप देने की दिशा में निर्णायक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह केवल एक प्रस्ताव नहीं बल्कि अब संविधान का हिस्सा बन चुका प्रावधान है, जिसे देश की लोकतांत्रिक संरचना में ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कई दशकों तक इस मुद्दे पर चर्चा तो होती रही, लेकिन इसे धरातल पर उतारने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आरक्षण के लागू होने की प्रक्रिया को आगामी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया है। उनके अनुसार यह कोई राजनीतिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि देश की संघीय संरचना और संसदीय संतुलन को ध्यान में रखकर तय की गई संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व का विस्तार करना है, ताकि लोकतंत्र और अधिक समावेशी बन सके। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की मंशा है कि वर्ष 2029 के आम चुनावों से पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू कर दी जाए। इसके लिए परिसीमन और सीटों के पुनर्गठन जैसी प्रक्रियाओं को संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि इस प्रक्रिया में किसी भी राज्य या वर्ग के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि विपक्ष वास्तव में महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है, तो उसे इस ऐतिहासिक सुधार में बाधा डालने के बजाय सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर रचनात्मक चर्चा और सुधार के सुझाव देकर विपक्ष इस प्रक्रिया को और मजबूत बना सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं बल्कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार देने का है। दूसरी ओर, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस बिल को राजनीतिक लाभ के लिए समयबद्ध तरीके से लागू करने में देरी कर रही है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि सरकार इसे 2029 के चुनावों से पहले लागू करने की बात कर रही है, जिससे इसके वास्तविक लाभ में देरी हो सकती है। उन्होंने इसे चुनावी रणनीति से जोड़ते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। महिला आरक्षण को लेकर लंबे समय से राजनीतिक सहमति की कमी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर बहस चलती रही है। यह मुद्दा पिछले दो दशकों से संसद में चर्चा का विषय रहा है, लेकिन पहली बार इसे संविधान में शामिल कर कानूनी रूप दिया गया है। इसके बावजूद इसके लागू होने की प्रक्रिया और समयसीमा को लेकर अब भी मतभेद बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब इसे जमीनी स्तर पर पूरी तरह लागू किया जाएगा। फिलहाल, इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाज़ी जारी है और आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस पर और तीखी बहस होने की संभावना है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा 'अवैध' साम्राज्य, ध्वस्तीकरण के बाद मेरठ में मचा सियासी और सामाजिक भूचाल

मेरठ। शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने पूरे शहर के कारोबारी तंत्र को हिला कर रख दिया है। जिस बाजार को पिछले कई दशकों से मेरठ के सबसे व्यस्त और आर्थिक रूप से मजबूत केंद्रों में गिना जाता था, वहां अब मलबे के ढेर और उजड़े हुए प्रतिष्ठान नजर आ रहे हैं। आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से विकसित किए गए व्यावसायिक निर्माणों पर बुलडोजर चलने के बाद स्थिति यह है कि न केवल सैकड़ों दुकानें बंद हो गई हैं, बल्कि हजारों व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है। व्यापारियों का आरोप है कि यह पूरा सिस्टम अचानक नहीं बना, बल्कि वर्षों तक अधिकारियों की मिलीभगत, राजनीतिक संरक्षण और विभागीय लापरवाही के कारण यह "अवैध साम्राज्य" खड़ा हुआ। अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है, तो इसकी पूरी कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ रही है जिन्होंने अपनी जीवनभर की जमा पूंजी लगाकर दुकानें और प्रतिष्ठान खड़े किए थे।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यह स्थिति एक दिन या एक साल में नहीं बनी, बल्कि लगभग दो से तीन दशक के भीतर धीरे-धीरे विकसित हुई। जब इन इमारतों का निर्माण हो रहा था, तब नगर नियोजन और आवास विकास से जुड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। कई जगहों पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण हुआ, लेकिन उस समय किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। अब अचानक कार्रवाई कर देना न्याय नहीं बल्कि अन्याय जैसा प्रतीत होता है।

व्यापारी संगठनों का यह भी कहना है कि उन्होंने हर स्तर पर टैक्स जमा किया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, हर दस्तावेज उनके व्यवसाय को वैध साबित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार खुद उनसे टैक्स ले रही थी, तो उनका व्यवसाय अवैध कैसे हो गया। संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यह प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें सिस्टम की गलती की सजा सीधे व्यापारियों को दी जा रही है।

ध्वस्तीकरण के बाद अब स्थिति और गंभीर हो गई है क्योंकि प्रशासन की नजर में केवल सेंट्रल मार्केट ही नहीं, बल्कि आसपास के कई अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के 859 से अधिक निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिन पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। इससे शहर के व्यापारिक वर्ग में भय का माहौल है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े शोरूम मालिकों तक सभी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि ये निर्माण अवैध थे, तो इतने वर्षों तक इन्हें चलने कैसे दिया गया। व्यापारियों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों और बिल्डरों के बीच मिलीभगत के कारण यह पूरा नेटवर्क तैयार हुआ। नक्शा पास करने, निरीक्षण करने और नियम लागू कराने वाले विभागों ने जानबूझकर आंखें मूंदे रखीं, जिससे अवैध निर्माण फलता-फूलता रहा। अब जब कार्रवाई हुई है तो वही अधिकारी जांच के दायरे में आने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि व्यापारियों का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। व्यापारी संगठनों ने यह भी मांग उठाई है कि केवल दुकानों को तोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जिन्होंने वर्षों तक इस अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया। उनका कहना है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह न्याय नहीं बल्कि एकतरफा दंड प्रक्रिया मानी जाएगी। संयुक्त व्यापार संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस तरह अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई है, उसी तरह भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों की संपत्तियों की भी जांच हो और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता व्यापारियों के समर्थन में सामने आ रहे हैं और इसे प्रशासनिक असफलता बता रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत की गई है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप संभव नहीं था। अधिकारियों के अनुसार, लंबे समय से यह मामला अदालत में चल रहा था और अंततः आदेश के बाद ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रशासन यह भी तर्क दे रहा है कि अवैध निर्माण चाहे कितने भी पुराने क्यों न हों, यदि वे कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्रवाई अनिवार्य है। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि कानून इतना ही सख्त था तो इतने वर्षों तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया।

ध्वस्तीकरण के बाद कई दुकानदारों ने अपने सामान को निकालने का समय न मिलने की भी शिकायत की है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि उन्हें अचानक कार्रवाई की सूचना दी गई, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। कई छोटे व्यापारियों का पूरा निवेश बर्बाद हो गया है और उनके सामने अब परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। इस घटना ने शहरी नियोजन, प्रशासनिक निगरानी और भ्रष्टाचार की जड़ों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला केवल एक बाजार या एक शहर का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न है, जहां नियमों का पालन तब होता है जब अदालत का आदेश आ जाता है, लेकिन उससे पहले वर्षों तक अनदेखी चलती रहती है। फिलहाल मेरठ का सेंट्रल मार्केट एक उदाहरण बन गया है, जहां विकास, लापरवाही और भ्रष्टाचार की मिलीभगत ने एक पूरा आर्थिक ढांचा खड़ा किया और फिर न्यायिक हस्तक्षेप के बाद उसे ढहा दिया गया। लेकिन

मथुरा में दर्दनाक हादसा, पैंटून पुल से टकराकर यमुना में पलटा स्टीमर; रेस्क्यू जारी, कई लोगों की मौत की आशंका

वृंदावन। धर्मनगरी वृंदावन में शुक्रवार को यमुना घाट पर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया, जब श्रद्धालुओं से भरा एक स्टीमर पैंटून पुल से टकराकर अचानक नदी में पलट गया। यह हादसा केसी घाट के पास उस समय हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु यमुना दर्शन के लिए नाव यात्रा पर निकले थे। बताया जा रहा है कि स्टीमर में लगभग 30 लोग सवार थे और सभी सामान्य धार्मिक यात्रा पर निकले थे, लेकिन कुछ ही पलों में यह यात्रा भयावह त्रासदी में बदल गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही स्टीमर पैंटून पुल के नजदीक पहुंचा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पुल से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि नाव का ढांचा असंतुलित होकर पलट गया और उसमें बैठे सभी लोग यमुना के गहरे पानी में जा गिरे। घटना के तुरंत बाद घाट पर मौजूद लोग चीख-पुकार के साथ नदी की ओर दौड़े और बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण शुरुआती रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आईं।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। नदी में फंसे लोगों को निकालने के लिए गोताखोर लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं स्थानीय नाविक और मल्लाह भी राहत कार्य में शामिल किए गए हैं। घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु व स्थानीय लोग घाट पर जमा हो गए हैं।

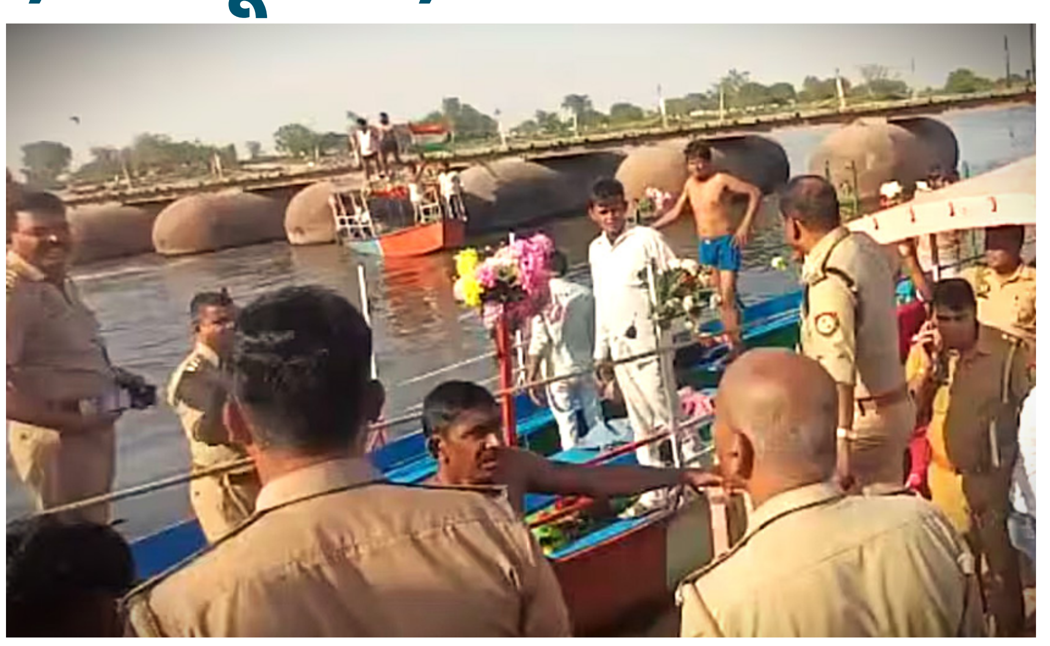

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अब तक 9 लोगों के शव बरामद होने की बात सामने आ रही है, हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और जब तक पूरी तलाशी नहीं हो जाती, तब तक मृतकों और घायलों की सही संख्या बताना संभव नहीं होगा। कई लोगों के अब भी लापता होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है।

घटना के बाद अस्पतालों में भी आपात स्थिति जैसी व्यवस्था कर दी गई है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टीमर पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे वह असंतुलित हो गया और पुल से टकराते ही पलट गया। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि धार्मिक स्थल होने के बावजूद यमुना में चलने वाली नावों और स्टीमरों की सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी मानकों की अनदेखी अक्सर देखने को मिलती है, जिससे इस तरह की घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है।

हादसे के बाद पूरे वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर फैल गई है। यमुना घाट पर जहां कुछ देर पहले तक श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक माहौल था, वहां अब मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजन अपने लापता लोगों की तलाश में घाटों और अस्पतालों के बीच भटकते नजर आ रहे हैं।

प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किस कारण हुआ, क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या फिर यह पूरी तरह लापरवाही का परिणाम है। अधिकारियों का कहना है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है और एनडीआरएफ सहित स्थानीय गोताखोर लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, परिजनों की चिंता और बढ़ती जा रही है और पूरा इलाका इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है।

रेलवे की बड़ी राहत: गर्मियों में भीड़ से निपटने के लिए 59 समर स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट का फायदा

मुरादाबाद। गर्मी की छुट्टियों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से 59 समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है, जिससे लाखों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये विशेष ट्रेनें 20 अप्रैल से जुलाई मध्य तक चलाई जाएंगी और इनका मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले रूटों पर यात्रा को आसान और सुगम बनाना है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, हर साल गर्मियों के मौसम में स्कूल-कॉलेजों की छुट्टियों और पर्यटन सीजन के कारण ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। कई बार यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता और उन्हें लंबी प्रतीक्षा सूची का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए इस बार पहले से ही अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बिना परेशानी के यात्रा का विकल्प मिल सके।

मुरादाबाद मंडल से चलने वाली ये 59 स्पेशल ट्रेनें प्रमुख रूप से उत्तर भारत के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों को जोड़ेंगी। इनमें हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और हरिद्वार जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की ट्रेनों को विशेष रूप से पूर्वी भारत के रूटों के लिए भी चलाया जाएगा, जिनमें पटना, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर और हावड़ा जैसे बड़े गंतव्य शामिल हैं। इन रूटों पर हर साल सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, खासकर बिहार और पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है। रेलवे ने बताया कि इस बार 30 जोड़ी (पेयर) ट्रेनें विशेष रूप से नोटिफाई की गई हैं, ताकि दोनों दिशाओं में यात्रियों को समान सुविधा मिल सके। इन ट्रेनों का संचालन इस तरह से किया जाएगा कि प्रमुख स्टेशनों पर कनेक्टिविटी

बेहतर बनी रहे और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। रेलवे का मानना है कि इस कदम से न केवल भीड़ का दबाव कम होगा बल्कि ट्रेनों में यात्रा अनुभव भी बेहतर बनेगा।

मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर (DCM) आदित्य गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल से जुलाई का समय हर साल समर सीजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में रेलवे का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं ताकि किसी भी यात्री को यात्रा में कठिनाई न हो। उनके अनुसार अभी तक लगभग 59 ट्रेनें नोटिफाई की जा चुकी हैं और आवश्यकता पड़ने पर आगे और भी ट्रेनों को जोड़ा जा सकता है।

रेलवे अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों की जानकारी यात्रियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही है। यात्री 'रेल मदद' और 'NTES' (Rail One) ऐप के माध्यम से ट्रेनों की समय-सारणी, कोच स्थिति और सीट उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे यात्रियों को अंतिम समय की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी और वे अपनी यात्रा पहले से ही योजना के अनुसार कर सकेंगे।

रेलवे का यह भी कहना है कि आने वाले समय में जैसे-जैसे यात्रियों की मांग बढ़ेगी, अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को भी इस सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए एक विस्तृत रूट मैप नीति तैयार की गई है, जिसके तहत जरूरत के अनुसार नई ट्रेनें चलाई जाएंगी।

यात्रियों के लिए यह कदम काफी राहत भरा माना जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इस दौरान टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन स्पेशल ट्रेनों के संचालन से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रेलवे की इस पहल से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि ट्रेनों में भीड़ का संतुलन भी बेहतर होगा और पूरे नेटवर्क पर दबाव कम होगा। अब यात्रियों को उम्मीद है कि समय पर और व्यवस्थित ट्रेनों के संचालन से उनकी यात्रा और भी आरामदायक और सुगम बन सकेगी।

कानपुर में बहू से मारपीट का मामला: ससुर पर गंभीर आरोप, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में सामने आए एक पारिवारिक विवाद ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद मामला तेजी से तूल पकड़ गया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपनी बहू के साथ कथित रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप सामने आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह एक पारिवारिक विवाद से जुड़ा मामला है, लेकिन पीड़िता की शिकायत और वायरल फुटेज ने इसे गंभीर बना दिया है।

मामला प्रयागराज की रहने वाली महिला मीनाक्षी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी शादी वर्ष 2020 में कानपुर निवासी हिमांशु नामक युवक से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष के बीच संबंधों में तनाव शुरू हो गया था। धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि वह अपने मायके लौट गई। पीड़िता का कहना है कि लंबे समय तक वह अपने मायके में ही रही और इसी दौरान दोनों परिवारों के बीच रिश्तों में खटास और गहरी होती चली गई।

पीड़िता के अनुसार हाल ही में वह अपने ससुराल पक्ष से बातचीत कर विवाद सुलझाने और रिश्तों को सुधारने के उद्देश्य से कानपुर स्थित ससुराल पहुंची थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसका आरोप है कि ससुराल पहुंचते ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और ससुर ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वायरल वीडियो में कथित तौर पर देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति महिला को घसीटते हुए और उसके साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहा है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया।

पीड़िता का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान उसने मदद की गुहार लगाई और लगातार "मुझे छोड़ दो, मत मारो" जैसे शब्द कहती रही, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। महिला ने दावा किया कि उसके साथ शारीरिक हिंसा के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना भी की गई। हालांकि ये सभी आरोप पीड़िता के बयान पर आधारित हैं और पुलिस द्वारा इसकी स्वतंत्र जांच की जा रही है।

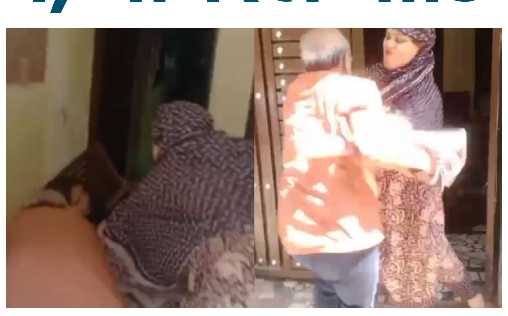

पीड़िता ने अपने पति हिमांशु और उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पारिवारिक मतभेद के चलते उसे लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। पीड़िता के अनुसार परिवार उस पर मानसिक दबाव बना रहा था और उसे घर में स्वीकार नहीं किया जा रहा था। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताने की कोशिश की गई और इसी आधार पर परिवार के कुछ निर्णय लिए जा रहे थे। मामले में एक और आरोप यह भी है कि ससुराल पक्ष द्वारा बेटे की दूसरी शादी की तैयारी की जा रही थी, जिससे विवाद और बढ़ गया। पीड़िता का कहना है कि जब वह ससुराल पहुंची तो उसे वहां किसी तरह का सम्मान या बातचीत का मौका नहीं दिया गया, बल्कि स्थिति हिंसक हो गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर ससुराल पक्ष की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

वायरल वीडियो में दिख रही घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में भी चर्चा है। वीडियो में कथित रूप से एक व्यक्ति महिला को पकड़कर खींचते और उसके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल गया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस की भूमिका और कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई लोगों ने इसे गंभीर घरेलू हिंसा का मामला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था और महिला अचानक ससुराल पहुंची थी, जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है और घटना किस परिस्थिति में हुई।

स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक औपचारिक रूप से मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन शिकायत और वीडियो के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच के बाद ही कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर शुरुआती तौर पर कार्रवाई में देरी करने और मुकदमा दर्ज न करने के आरोप भी लगाए हैं, जिस पर पुलिस का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है।

UP SIR: वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल, कई सीटों पर भारी गिरावट से सियासी हलचल तेज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जारी की गई फाइनल मतदाता सूची ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। शुक्रवार को जारी इस सूची के बाद राज्यभर में मतदाता आंकड़ों में भारी बदलाव देखने को मिला है। जहां एक ओर करोड़ों नाम सूची से हटाए गए हैं, वहीं लाखों नए मतदाताओं को जोड़ा भी गया है। इस प्रक्रिया ने कई विधानसभा क्षेत्रों में वोटर बेस को काफी हद तक प्रभावित किया है, जिससे राजनीतिक दलों के भीतर रणनीति पर पुनर्विचार की स्थिति बन गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था। अक्टूबर 2025 में जहां राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी, वहीं प्रारंभिक ड्राफ्ट सूची के बाद यह संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई थी। इस दौरान करीब 2.89 करोड़ नाम सूची से हटाए गए थे। हालांकि बाद में आपत्तियों और सुधार प्रक्रिया के तहत लगभग 84 लाख नामों को फिर से सूची में शामिल किया गया, जिसके बाद अंतिम आंकड़े जारी किए गए।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा असर राजधानी लखनऊ सहित कई प्रमुख जिलों में देखने को मिला है। लखनऊ जिले में करीब 9.14 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। इसके अलावा प्रयागराज में 8.26 लाख, आगरा में 6.37 लाख, कानपुर नगर में 5.87 लाख और गाजियाबाद में 5.74

लाख मतदाताओं की संख्या घटने की जानकारी सामने आई है। इन आंकड़ों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है, क्योंकि इन जिलों की कई विधानसभा सीटें चुनावी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की लखनऊ कैंट विधानसभा सीट को लेकर हो रही है, जहां मतदाताओं की संख्या में 34.18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे राजनीतिक प्रभाव के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी तरह गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां लगभग 3,16,484 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यह संख्या इस सीट के लिए अब तक की सबसे बड़ी मतदाता सूची में गिरावट मानी जा रही है। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में भाजपा विधायक और योगी सरकार में आईटी मंत्री सुनील कुमार शर्मा प्रतिनिधित्व करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी और इसे राज्य की सबसे अधिक मतों से जीत वाली सीटों में शामिल किया गया था। ऐसे में इस बार मतदाता सूची में इतनी बड़ी कटौती ने राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसका आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ेगा।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त और अद्यतन बनाने के लिए की गई है। आयोग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य मृतक मतदाताओं के नाम हटाना, स्थानांतरित हो चुके लोगों को सही स्थान पर दर्ज करना, और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को समाप्त करना था। अधिकारियों ने इसे एक नियमित और आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है, जिसे समय-समय पर किया जाता है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी रहे।

हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि लॉजिकल एरर, नो-मैपिंग, डुप्लीकेट एंट्री और मृतक मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी की जाए। साथ ही पार्टी ने अपील प्रक्रिया के लिए 15 दिनों का समय देने की भी मांग की है ताकि प्रभावित मतदाता अपने नाम वापस जुड़वा सकें।

विपक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटना केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं हो सकता और इसके पीछे व्यापक स्तर पर समीक्षा की आवश्यकता है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि यह पूरी कवायद चुनावी व्यवस्था को मजबूत बनाने और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए की गई है, जिससे चुनाव अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बन सकें।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मतदाता सूची में इस तरह के बड़े बदलाव आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। खासकर उन सीटों पर जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है, वहां यह बदलाव निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब सभी राजनीतिक दल इस नई मतदाता सूची का गहन अध्ययन कर रहे हैं ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सूची अंतिम है, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार और अपील का अवसर भी दिया जाएगा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और अधिक गर्मा सकता है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com* navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

अवैध कॉलोनियों पर कसेगा शिकंजा, सीतापुर प्रशासन सख्त: बिना नक्शा पास कराए निर्माण पर होगी कड़ी कार्रवाई, खरीदारों को दी चेतावनी

सीतापुर। जनपद में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडेय ने विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य—चाहे वह आवासीय हो, व्यावसायिक, औद्योगिक या शैक्षणिक—बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी और सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के बाद पूरे जिले में अवैध कॉलोनाइजरों और भू-माफियाओं में हलचल मच गई है। लंबे समय से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि को टुकड़ों में बांटकर बिना ले-आउट प्लान के बेचा जा रहा था, जिससे कई स्थानों पर बेतरतीब कॉलोनियों का निर्माण हो गया है। इन कॉलोनियों में न तो सड़क की उचित व्यवस्था थी, न ही जल निकासी और न ही बुनियादी सुविधाओं का कोई मानक ढांचा। अब प्रशासन ने ऐसे सभी निर्माणों को जांच के दायरे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है।

सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी क्षेत्र में बिना स्वीकृति के निर्माण या प्लॉटिंग पाई जाती है तो उसे अवैध मानते हुए न केवल ध्वस्त किया जाएगा, बल्कि संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए राजस्व विभाग, नगर नियोजन विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित की जा रही हैं, जो लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगी और अवैध निर्माणों की सूची तैयार करेंगी।

प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की जमीन या प्लॉट खरीदने से पहले पूरी तरह सतर्क रहें। कई मामलों में यह देखने को मिला है कि लोग कम कीमत या आकर्षक योजनाओं के कारण बिना जांच-पड़ताल किए प्लॉट खरीद लेते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि वह भूमि अवैध कॉलोनी का हिस्सा है या उसका कोई स्वीकृत ले-आउट प्लान नहीं है। ऐसे मामलों में खरीदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है।

इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह सलाह दी है कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कार्यालय से उसकी स्वीकृति की जांच अवश्य करे। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि ले-आउट प्लान की पुष्टि किए बिना किया गया निवेश जोखिम भरा हो सकता है और भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी सुरक्षा नहीं मिल पाएगी।

जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों द्वारा कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेचना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति के प्लॉटिंग या बिक्री की जाती है तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा और संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

सिटी मजिस्ट्रेट ने जिन क्षेत्रों को विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है, उनमें सीतापुर नगर पालिका परिषद और खैराबाद नगर पालिका की पूरी सीमा शामिल है। इसके अलावा तहसील सीतापुर के 57 प्रमुख गांव भी इस दायरे में आते हैं। इनमें नैपालापुर, इलसियाग्रांट, तरीनपुर, सलेमपुर, रामनगर, कनायतपुर, उमरिया सहित कई महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, जहां हाल के वर्षों में तेजी से शहरीकरण देखने को मिला है। इन क्षेत्रों में अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले प्रशासनिक स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रशासन का मानना है कि बिना नियोजन के हो रहे विकास कार्य न केवल भविष्य में समस्याएं पैदा करते हैं, बल्कि शहरों और गांवों के संतुलित विकास को भी बाधित करते हैं। अनियंत्रित कॉलोनियों के कारण सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी भारी दबाव पड़ता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध कॉलोनियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे कई जगहों पर मूलभूत सुविधाओं का संकट खड़ा हो गया है। बरसात के मौसम में जलभराव, कच्ची सड़कों की समस्या और बिजली व्यवस्था की कमी आम बात हो गई है। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई लंबे समय से उठ रही मांग का परिणाम मानी जा रही है। हालांकि, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यदि नियमों को सख्ती से लागू किया गया तो पहले से विकसित कई कॉलोनियां प्रभावित हो सकती हैं, जिससे हजारों लोग अनिश्चितता में आ सकते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी, ताकि एक तरफ अवैध निर्माण पर रोक लगे और दूसरी तरफ आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो।

फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में और भी सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दोहराया है कि शहर का सुनियोजित विकास ही प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

पॉक्सो केस में चूक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को तलब; मासूम की मौत ने उठाए गंभीर सवाल

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चार साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत और उसकी दर्दनाक मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस गंभीर प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर तीखी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के पूरी तरह विफल हो जाने का भी उदाहरण है।

शीर्ष अदालत ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को 13 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है और उनसे पूरे मामले में हुई कथित लापरवाही पर विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह के वीडियो और साक्ष्य सामने आए हैं, उन्होंने न्यायालय को भी भीतर तक झकझोर दिया है।

यह मामला 16 मार्च को सामने आया था, जब चार साल की मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य और उसकी मौत की सूचना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे केवल हत्या का मामला मानते हुए एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन बाद में यह सवाल उठने लगे कि क्या जानबूझकर दुष्कर्म

और पॉक्सो (POCSO) जैसी गंभीर धाराओं को शामिल नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को कम करके दिखाने की कोशिश की और शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी हैरानी जताई कि जब घटनास्थल और मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म के स्पष्ट संकेत मौजूद थे, तब भी शुरुआती एफआईआर में उन धाराओं को शामिल क्यों नहीं किया गया जो इस अपराध की गंभीरता को दर्शाती हैं। कोर्ट ने कहा कि यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही प्रतीत होती है, जिसकी जांच जरूरी है।

इसके अलावा अदालत ने उस कथित पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए, जिसमें आरोपी को पुलिस कस्टडी में गोली चलाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था। कोर्ट ने पूछा कि जब आरोपी पुलिस हिरासत में था, तो उसके पास हथियार कैसे पहुंचा और यह घटना किन परिस्थितियों में हुई। अदालत ने इसे बेहद संदिग्ध बताते हुए पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।

इस मामले में एक और गंभीर पहलू अस्पतालों का रवैया भी रहा है। परिजनों का आरोप है कि खून से लथपथ बच्ची को कई निजी अस्पतालों ने इलाज देने से मना कर दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवहार को अमानवीय बताते हुए कड़ी आलोचना की है और कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में इलाज से इनकार करना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के समान है।

सुनवाई के दौरान अदालत में कई वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए, जिनमें बच्ची को जीवित अवस्था में दिखाया गया था, जबकि पुलिस रिपोर्ट में उसे पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था। इस विरोधाभास ने मामले को और गंभीर बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है।

परिजनों ने अदालत से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उन्हें शुरुआत से ही उचित सहयोग नहीं मिला और पुलिस का रवैया असंवेदनशील रहा। उनका कहना है कि यदि समय पर सही धाराएं लगाई जातीं और मेडिकल सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाती, तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए कहा है कि यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि संस्थागत विफलता का उदाहरण है, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य व्यवस्था और जांच एजेंसियों—तीनों की भूमिका पर सवाल उठते हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारी तय करना जरूरी है।

अब सभी की निगाहें 13 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जब गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर पूरे घटनाक्रम पर जवाब देना होगा। यह सुनवाई इस मामले की दिशा तय करने में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे यह तय होगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई और आगे किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल यह मामला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में कानून-व्यवस्था, बाल संरक्षण और चिकित्सा प्रणाली की संवेदनशीलता पर गंभीर बहस का विषय बन गया है।

अस्पताल की दहलीज पर शर्मसार हुई मानवता, ऑपरेशन का डर दिखाकर निकाला; परिसर में सड़क पर हुई डिलीवरी, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

शामली। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनहीनता और लापरवाही का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब प्रसव पीड़ा से तड़प रही एक गर्भवती महिला को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया और कुछ ही देर बाद उसने अस्पताल परिसर की सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

जानकारी के अनुसार, बागपत जिले के आसरा गांव निवासी कौसर को देर रात अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजन उसे तत्काल शामली जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उम्मीद थी कि समय पर इलाज मिलेगा और सुरक्षित प्रसव हो सकेगा। लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद महिला की स्थिति को गंभीर बताए बिना ही स्टाफ ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। आरोप यह भी है कि डॉक्टरों ने बिना उचित जांच के ही केस को “जटिल” बताते हुए ऑपरेशन की जरूरत बता दी और परिजनों को बाहर जाने की सलाह दे दी।

परिजनों के मुताबिक, वे अभी महिला को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल परिसर की सड़क पर ही प्रसव शुरू हो गया। उस समय वहां मौजूद लोगों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के भीतर से पर्याप्त मेडिकल सहायता तुरंत नहीं मिल सकी। कुछ ही मिनटों में महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान मौजूद लोगों का कहना है कि यह दृश्य बेहद दर्दनाक और असहनीय था, जहां एक ओर अस्पताल की दीवारों के भीतर इलाज के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक महिला को प्रसव जैसी नाजुक स्थिति में भी मदद नहीं मिल सकी। घटना के बाद कुछ स्टाफ सदस्य मौके पर पहुंचे और जच्चा-बच्चा को अंदर ले जाया गया। बाद में दोनों को वार्ड में भर्ती कर लिया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ देर तक तनाव का माहौल बना रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो अस्पताल कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनके साथ बहस भी हुई। इससे मौके पर स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई और लोगों के बीच नाराजगी फैल गई।

परिजनों का कहना है कि यदि समय पर महिला को भर्ती कर लिया जाता और उचित चिकित्सा सहायता दी जाती, तो यह स्थिति टाली जा सकती थी। उनका आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने लापरवाही बरती और बिना किसी ठोस कारण के मरीज को वापस भेजने की कोशिश की, जिसके चलते यह दर्दनाक घटना हुई। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि पहले भी कई बार इस अस्पताल में मरीजों के साथ लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और जिम्मेदार डॉक्टरों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला अस्पताल परिसर की सड़क पर दर्द से कराह रही है और आसपास लोग असहाय स्थिति में खड़े हैं। यह दृश्य स्वास्थ्य व्यवस्था की उस हकीकत को उजागर करता है, जहां आपात स्थिति में भी समय पर मदद नहीं मिल पाती।

घटना के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। प्रशासन की चुप्पी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसी गंभीर घटनाओं पर जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही।

इस पूरे मामले ने जिला स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं और सुरक्षित प्रसव के दावों के बीच यह घटना एक बड़ा विरोधाभास पेश करती है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए यह घटना एक चेतावनी भी बन गई है कि समय पर इलाज न मिलने पर स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। फिलहाल महिला और नवजात दोनों अस्पताल में निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। लेकिन यह घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है—क्या अस्पतालों में मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही हैं? क्या आपात स्थिति में भी मरीजों को इस तरह भटकना पड़ेगा? और क्या जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? स्थानीय लोग अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कदम उठाएगा।

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता : राजनाथ सिंह, बोले-आनंद और सफलता के लिए सोच का बड़ा होना जरूरी

नोएडा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए युवाओं को जीवन, सोच और तकनीक के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि व्यक्ति का वास्तविक विकास केवल डिग्री या पद से नहीं, बल्कि उसकी सोच और दृष्टिकोण से होता है। उन्होंने कहा कि “छोटे मन का व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या, कुंठा और हताशा से घिरा रहता है, और ऐसे जीवन में वास्तविक सुख या आनंद की प्राप्ति संभव नहीं होती।”

राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए मन का विस्तार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितना व्यक्ति अपने मन और सोच को बड़ा करता है, उतनी ही उसकी खुशियों और संतोष की क्षमता बढ़ती जाती है। उनके अनुसार, “आनंद कोई सीमित चीज नहीं है, यह एक अवस्था है, और यह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति अपने भीतर से संकीर्णता को खत्म कर देता है।”

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनके विचारों को उद्धृत किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वाजपेयी जी हमेशा कहा करते थे कि “छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता।” उन्होंने कहा कि यह विचार आज के समय में युवाओं के लिए और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जब प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं।

अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने तकनीक और विज्ञान के उपयोग को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के कई बुद्धिमान लोग और बड़ी कंपनियां विज्ञान और तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक

लाभ के लिए कर रही हैं, जबकि इसका असली उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि तकनीक का उपयोग समाज के व्यापक हितों की बजाय केवल मुनाफे के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक शोध का उदाहरण देते हुए कहा कि आज कई वैज्ञानिक गंभीर बीमारियों के इलाज पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन शोधों का व्यावसायिक दोहन भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार कंपनियां अपने शोध और तकनीकी संसाधनों को ऐसे क्षेत्रों में बेच देती हैं जहां उनका उपयोग केवल उपभोग और विलासिता की वस्तुएं बनाने में होता है, जबकि मानवता को उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता।

राजनाथ सिंह ने कहा कि टेक्नोलॉजी का विकास तभी सार्थक है जब उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विज्ञान और तकनीक को केवल बाजार की मांग तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से आगे बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और उन्हें यह तय करना होगा कि वे तकनीक का उपयोग किस दिशा में करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर युवा पीढ़ी केवल व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान देगी तो समाज में असंतुलन बढ़ेगा, लेकिन अगर वे मानवता के लिए सोचेंगे तो देश और दुनिया दोनों का भविष्य बेहतर होगा। दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बनना भी है। उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए युवाओं को बड़े दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा।

कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों ने रक्षा मंत्री के विचारों को गंभीरता से सुना। उनका यह संदेश विशेष रूप से उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना गया जो तकनीकी और प्रबंधन के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं।

राजनाथ सिंह का यह संबोधन केवल एक औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि एक वैचारिक संदेश भी था जिसमें उन्होंने आधुनिक विकास, तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अंत में कहा कि जब सोच बड़ी होती है, तभी समाज भी बड़ा बनता है और वही वास्तविक प्रगति का आधार है।

कैप्री ग्लोबल कैपिटल का 500 करोड़ रुपये का एनसीडी इश्यू, ट्रेंच-1 की घोषणा से निवेश बाजार में हलचल

मुंबई। नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर (NBFC) की प्रमुख कंपनी कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ने पूंजी बाजार में एक बड़ी पहल करते हुए 500 करोड़ रुपये के सिक्योर्ड, रेटेड, लिस्टेड और रिडीमेबल नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के पब्लिक इश्यू की घोषणा की है। यह इश्यू ट्रेंच-1 के तहत जारी किया जा रहा है, जिसमें निवेशकों को सुरक्षित और स्थिर रिटर्न आधारित निवेश विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी की यह पेशकश ऐसे समय में आई है जब घरेलू वित्तीय बाजारों में स्थिर आय वाले साधनों की मांग लगातार बढ़ रही है।

कंपनी द्वारा जारी विवरण के अनुसार इस इश्यू का कुल आकार 500 करोड़ रुपये का रखा गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपये का बेस इश्यू साइज शामिल है, जबकि 400 करोड़ रुपये का ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि बाजार की मांग के आधार पर इश्यू को अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस संरचना को निवेशकों के बीच लचीला और आकर्षक विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि यह बाजार की प्रतिक्रिया के अनुसार फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाता है।

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड एक स्थापित एनबीएफसी है जो देश के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी मुख्य रूप से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड लोन और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में कार्यरत है। कंपनी का फोकस उन ग्राहकों तक पहुंच बनाने पर है जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से अभी भी पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं। प्रबंधन का कहना है कि कंपनी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और छोटे उद्यमियों तथा मध्यम वर्ग के लिए ऋण उपलब्धता को आसान बनाना है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश शर्मा ने इस इश्यू की घोषणा करते हुए कहा कि कैप्री ग्लोबल का बिजनेस मॉडल मजबूत निष्पादन क्षमता, सख्त जोखिम प्रबंधन और तकनीक आधारित सेवाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कंपनी लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके क्रेडिट प्रोफाइलिंग को बेहतर बना रही है, जिससे ग्राहकों को तेज और पारदर्शी लोन सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी का उद्देश्य देशभर में वित्तीय सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां अभी भी बैंकिंग और ऋण सेवाओं की सीमित पहुंच है।

इस इश्यू के जरिए जुटाई गई पूंजी का उपयोग कंपनी अपने लोन पोर्टफोलियो को और मजबूत करने में करेगी। नियामकीय जानकारी के अनुसार, इस एनसीडी इश्यू से प्राप्त धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा आगे ऋण देने, फाइनेंसिंग गतिविधियों और मौजूदा उधारों के ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में उपयोग किया जाएगा। शेष राशि, जो अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी, का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

वित्तीय बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि एनसीडी जैसे उपकरण उन निवेशकों के लिए आकर्षक होते हैं जो अपेक्षाकृत कम जोखिम के साथ स्थिर आय चाहते हैं। विशेष रूप से जब इश्यू किसी रेटेड और लिस्टेड कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, तो यह निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ाता है। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि निवेश से पहले कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, ब्याज दर, परिपक्वता अवधि और जोखिम कारकों का मूल्यांकन आवश्यक है।

इस इश्यू को भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे रिटेल और संस्थागत दोनों प्रकार के निवेशकों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। एनबीएफसी सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते क्रेडिट विस्तार और डिजिटल लेंडिंग मॉडल के कारण ऐसे फंडरेजिंग उपकरणों की मांग में तेजी देखी गई है।

कुल मिलाकर, कैप्री ग्लोबल का यह एनसीडी इश्यू न केवल कंपनी के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह देश के वित्तीय बाजार में निवेश के नए अवसर भी प्रस्तुत करता है। आने वाले दिनों में बाजार की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत देगी कि निवेशक इस इश्यू को किस हद तक स्वीकार करते हैं और कंपनी की पूंजी जुटाने की रणनीति कितनी सफल रहती है।

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी वाराणसी में तनाव; FIR दर्ज न होने पर विरोध की चेतावनी

वाराणसी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कथित तौर पर जान से मारने की गंभीर धमकी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया है। आरोप है कि उन्हें कुख्यात अपराधी अतीक अहमद की तरह खत्म करने की धमकी दी गई है। इस घटना के बाद उनके समर्थकों और सनातन समाज से जुड़े संगठनों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लंबे समय से "गौ माता – राष्ट्रमाता अभियान" के तहत गौ रक्षा को लेकर देशभर में सक्रिय हैं। इस अभियान के अंतर्गत वे विभिन्न राज्यों में यात्राएं और जनजागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। आगामी 3 मई 2026 से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनकी "गविष्ठी यात्रा" प्रस्तावित है, जिसके दौरान वे गौ हत्या के विरोध में जनजागरण करने और हर विधानसभा में "राम गौ धाम" की स्थापना के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर उन्हें धमकी मिलने का दावा किया गया है।

शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज ने बताया कि यह पूरा मामला 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ, जब ज्योतिर्मठ के आधिकारिक संपर्क नंबर पर लगातार आपत्तिजनक और धमकी भरे टेक्स्ट संदेश आने लगे। शुरुआत में इन संदेशों को सामान्य साइबर उत्पीड़न मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, लेकिन जब संदेशों की तीव्रता और भाषा और अधिक आक्रामक होने लगी तो मामले को गंभीरता से लिया गया। आरोप है कि फोन नंबर को ब्लॉक करने के बाद भी धमकी नहीं रुकी और 6 अप्रैल को वॉइस मेल के जरिए ऑडियो संदेश भेजे गए, जिनमें शंकराचार्य को जान से मारने की धमकी दी गई और उनकी प्रस्तावित यात्रा के दौरान हमला करने की बात कही गई।

इन संदेशों में अभद्र और उकसाने वाली भाषा का उपयोग किए जाने का भी दावा किया गया है। मीडिया प्रभारी का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत धमकी नहीं बल्कि एक सुनियोजित डराने की कोशिश हो सकती है, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को बाधित करना है। हालांकि, इस मामले में अभी तक धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है और पुलिस जांच जारी है।

इस घटना के बाद शंकराचार्य के प्रतिनिधि मंडल ने वाराणसी के भेलूपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया। लेकिन आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से तत्काल FIR दर्ज नहीं की गई और उन्हें बार-बार समय देकर टालने की कोशिश की गई। समर्थकों का कहना है कि कई घंटों तक प्रयास के बावजूद मामला दर्ज नहीं किया गया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई।

स्थिति को देखते हुए शंकराचार्य के समर्थकों और धार्मिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे 9 अप्रैल 2026 को भेलूपुर थाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आंदोलन को और व्यापक करने की भी बात कही जा रही है। समर्थकों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़ा करता है।

इस पूरे घटनाक्रम ने वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था और धार्मिक सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक ओर शंकराचार्य के समर्थक इसे गंभीर सुरक्षा चूक और सुनियोजित धमकी बता रहे हैं, वहीं प्रशासनिक स्तर पर अभी तक इस मामले पर आधिकारिक रूप से विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया है कि यदि एक प्रमुख धार्मिक नेता को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी। कई संगठनों ने इसे साइबर अपराध और संगठित धमकी का मामला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि धमकी भरे संदेश और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, तो यह गंभीर आपराधिक मामला बनता है और इसमें तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में देरी से जांच की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।

फिलहाल पुलिस की ओर से जांच की प्रक्रिया जारी होने की बात कही जा रही है, लेकिन समर्थकों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी और अधिक तूल पकड़ सकता है। सभी की नजर अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि वह इस गंभीर आरोप पर कितनी तेजी और पारदर्शिता से कदम उठाता है।

गजब! शराब तस्करी का नया जुगाड़: एंबुलेंस में बने गुप्त तहखाने से मिली 1491 बोतल विदेशी शराब, बिहार पुलिस भी रह गई हैरान

वैशाली। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब तस्कर लगातार नए-नए और चौंकाने वाले तरीकों से अवैध कारोबार को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामला वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिघी पूर्वी स्थित मलमला चौर का है, जहां पुलिस ने एक ऐसी एंबुलेंस को पकड़ा है, जिसे देखकर पहले तो किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जांच में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस टीम को भी हैरान कर दिया। इस एंबुलेंस के भीतर और खासकर उसकी छत में गुप्त तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखी गई थी।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक टाटा विंगर एंबुलेंस के जरिए बड़े पैमाने पर शराब की खेप सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की और संदिग्ध एंबुलेंस को रोक लिया। शुरुआत में वाहन पूरी तरह सामान्य दिखाई दे रहा था। उसमें एंबुलेंस जैसी सभी जरूरी चीजें मौजूद थीं, जैसे स्ट्रेचर, मेडिकल उपकरण और यहां तक कि स्लाइन की बोतलें भी लटकाई गई थीं, ताकि किसी को शक न हो कि इसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

पुलिस ने जब वाहन की शुरुआती तलाशी ली तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एंबुलेंस में नीचे का हिस्सा पूरी तरह सामान्य दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे यह वास्तव में किसी मरीज को ले जाने वाली एंबुलेंस हो। लेकिन पुलिस को वाहन की बनावट को लेकर संदेह हुआ, खासकर छत के हिस्से को लेकर, जो सामान्य एंबुलेंस से थोड़ा अलग और भारी दिखाई दे रहा था।

इसी शक के आधार पर पुलिस ने गहन जांच शुरू की। जैसे ही छत के हिस्से को खोलकर बारीकी से जांच की गई, तो वहां छिपा हुआ एक गुप्त तहखाना सामने आया। इस तहखाने के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें भरी हुई थीं। पुलिस ने जब पूरी तरह जांच की तो एंबुलेंस के अलग-अलग हिस्सों से कुल 1491 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित मात्रा लगभग 555 लीटर बताई जा रही है।

इस खुलासे के बाद पुलिस टीम भी दंग रह गई कि किस तरह तस्करों ने एंबुलेंस जैसे संवेदनशील वाहन का इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए किया। आमतौर पर एंबुलेंस को आपातकालीन सेवाओं से जोड़ा जाता है और ऐसे वाहनों की जांच भी कई बार कम होती है, जिसका फायदा उठाकर तस्करों ने यह नया तरीका अपनाया था।

सदर एसडीपीओ-1 सुबोध कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बरामद एंबुलेंस में बेहद चालाकी से नीचे और ऊपर दोनों हिस्सों में तहखाने बनाए गए थे, ताकि किसी भी सामान्य जांच में यह पकड़ा न जा सके। उन्होंने बताया कि यह पूरी तरह से संगठित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि यह एंबुलेंस मुजफ्फरपुर जिले के मुन्ना कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस अब वाहन मालिक और उसके नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक बड़े शराब तस्करी गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो बिहार में शराबबंदी कानून का फायदा उठाकर अवैध कारोबार चला रहा है।

छापेमारी के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एंबुलेंस चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही एंबुलेंस के मालिक और अन्य जुड़े लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तस्करों ने एंबुलेंस के अंदर इस तरह से व्यवस्था की थी कि बाहर से देखने पर यह पूरी तरह से एक सामान्य मेडिकल वाहन लगे। यहां तक कि स्लाइन और अन्य मेडिकल उपकरण भी इस तरह लगाए गए थे ताकि किसी को शक न हो। लेकिन तकनीकी जांच और सतर्कता के चलते यह पूरा खेल उजागर हो गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस तरह के मामलों ने इलाके में चिंता बढ़ा दी है। लोग हैरान हैं कि अब तस्कर इतने शातिर तरीके अपनाने लगे हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एंबुलेंस जैसे पवित्र वाहन का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। यह घटना न केवल पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि तस्करी का नेटवर्क कितना संगठित और तकनीकी रूप से विकसित हो चुका है।

पुलिस ने इस मामले में हाजीपुर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा।

फिलहाल जब्त एंबुलेंस और बरामद शराब को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शराबबंदी वाले राज्यों में तस्कर कानून से बचने के लिए कितने नए-नए और खतरनाक तरीके अपनाने लगे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ऐसे मंसूबों पर लगातार पानी फिर रहा है।

आईपीएल सट्टेबाजी का बड़ा खुलासा: भाजपा नेता समेत छह गिरफ्तार पुलिस छापेमारी में लाखों की नकदी और डिजिटल सबूत बरामद

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में आईपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान चल रहे बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। थाना सदर बाजार पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में शिवधाम कॉलोनी, औरंगाबाद स्थित एक मकान पर छापेमारी कर छह युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल उपाध्यक्ष भी शामिल बताया जा रहा है। इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है, वहीं पुलिस अब इस नेटवर्क के बड़े गिरोह और इसके वित्तीय कनेक्शन की जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, पिछले कई दिनों से पुलिस को इनपुट मिल रहे थे कि शहर के कुछ इलाकों में आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सट्टेबाजी का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम को विशेष रूप से सक्रिय किया था। इसके बाद सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से इस गिरोह का पता लगाया।

बुधवार देर रात करीब पौने बारह बजे पुलिस टीम ने शिवधाम कॉलोनी स्थित एक मकान पर अचानक दबिश दी। जैसे ही पुलिस टीम घर के अंदर पहुंची, वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने

मौके से छह लोगों को हिरासत में ले लिया, जो आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने और उसका हिसाब-किताब रखने का काम कर रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और अलग-अलग राज्यों के बुकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। यह भी पता चला है कि यह गिरोह मोबाइल एप, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दांव लगवाता था और बड़ी रकम का लेन-देन करता था।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है, जिसमें 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, चार्जर, कैलकुलेटर, एक्सटेंशन बोर्ड, तीन सट्टा डायरी, दो पेन, एक चेकबुक और एक लाख 63 हजार 530 रुपये नकद शामिल हैं। इन सट्टा डायरी में विभिन्न मैचों के दौरान लगाए गए दांव, टीमों के नाम, ऑड्स और हिसाब-किताब दर्ज पाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह बरामदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह एक संगठित और तकनीकी रूप से सक्रिय सट्टेबाजी रैकेट है, जो लंबे समय से बिना किसी बड़ी रुकावट के संचालित हो रहा था।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि यह गिरोह स्थानीय स्तर पर छोटे सट्टेबाजों को जोड़कर काम करता था और धीरे-धीरे पूरे जिले में नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था। इनमें से कुछ आरोपी केवल कॉल रिसीव करने और दांव रिकॉर्ड करने का काम करते थे, जबकि कुछ बड़े बुकी के संपर्क में रहते हुए पूरे लेन-देन की निगरानी करते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के तार किन-किन शहरों और राज्यों तक फैले हुए हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में भाजपा का एक मंडल उपाध्यक्ष भी शामिल है, जिससे राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर उसके राजनीतिक पद को लेकर विस्तृत टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जांच एजेंसियां इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही हैं। पार्टी संगठन की ओर से भी इस मामले में आंतरिक जांच की बात कही जा रही है और कहा गया है कि यदि आरोप साबित होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस मकान पर छापेमारी हुई वह बाहर से सामान्य आवासीय घर जैसा दिखता था, लेकिन अंदर से वहां लगातार लोगों की आवाजाही रहती थी। कई बार रात में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वहां इस स्तर पर सट्टेबाजी का संचालन हो रहा है। पुलिस अब आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन-किन लोगों का इस नेटवर्क से संपर्क था।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आईपीएल जैसे बड़े खेल आयोजनों के दौरान सट्टेबाजी का कारोबार तेजी से बढ़ जाता है और यह एक संगठित अपराध का रूप ले लेता है। इसमें न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतरराज्यीय और कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी शामिल होते हैं। ऐसे में इस पूरे गिरोह की आर्थिक गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और लेन-देन के अन्य माध्यमों की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई एक प्रारंभिक सफलता है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका सामाजिक या राजनीतिक प्रभाव कुछ भी हो। उन्होंने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जाएगी।

इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने लंबे समय तक यह अवैध कारोबार बिना किसी रोक-टोक के कैसे चलता रहा और क्या इसमें और भी प्रभावशाली लोग शामिल हैं। पुलिस प्रशासन अब इस मामले को एक बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क के तौर पर देख रहा है और इसे पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है।

फिलहाल सभी छह आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इस कार्रवाई ने न केवल मथुरा बल्कि पूरे क्षेत्र में अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हर अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई तय है।

वैश्विक जोखिमों के बावजूद मजबूत रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था, ADB ने जताया भरोसा

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी ताजा 'एशियन डेवलपमेंट आउटलुक' रिपोर्ट में भारत को लेकर बेहद सकारात्मक अनुमान जारी करते हुए कहा है कि देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए रखेगा।

रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि इसके अगले वित्त वर्ष 2027-28 में यह बढ़कर 7.3 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। यह अनुमान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तनाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके बावजूद भारत की विकास यात्रा को स्थिर और मजबूत माना जा रहा है।

ADB ने अपने विश्लेषण में कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार उसकी मजबूत घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों में निरंतरता और सरकारी खर्च की स्थिर नीति है। देश के भीतर उपभोक्ता खर्च में लगातार बढ़ोतरी और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग का विस्तार आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर किए जा रहे बड़े निवेश भी विकास को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आसान वित्तीय स्थितियां और वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों की मांग में सुधार भी आर्थिक वृद्धि को समर्थन दे रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका द्वारा कुछ भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में कमी और यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाएं निर्यात क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही हैं। इससे आने वाले वर्षों में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

ADB का मानना है कि निजी निवेश में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, जो दीर्घकालिक विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। वहीं, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई दिशा दे रहे हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण जोखिमों की ओर भी इशारा किया गया है। एडीबी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव, विशेषकर मध्य पूर्व में अस्थिरता, भारत के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। यदि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो इसका असर आयात बिल, चालू खाते के घाटे और महंगाई पर पड़ सकता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई चेन बाधित होने और रेमिटेंस प्रवाह पर दबाव बनने की संभावना भी जताई गई है। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है।

महंगाई को लेकर एडीबी ने अनुमान जताया है कि खाद्य पदार्थों और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत तक रह सकती है। हालांकि अगले वर्ष इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है और यह घटकर लगभग 4 प्रतिशत तक आ सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रित रहती हैं और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर रहती है, तो भारत की आर्थिक वृद्धि अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसके लिए सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को सतर्क राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाने की आवश्यकता होगी।

कुल मिलाकर ADB की यह रिपोर्ट भारत की आर्थिक मजबूती पर अंतरराष्ट्रीय भरोसे को दर्शाती है। चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास गाथा मजबूत घरेलू आधार, निवेश और संरचनात्मक सुधारों के दम पर आगे बढ़ती दिख रही है, जिससे आने वाले वर्षों में देश की वैश्विक आर्थिक स्थिति और भी सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

कोल इंडिया ने महंगाई के दबाव को रोका, बढ़ती लागत के बावजूद कीमतें स्थिर रखने का फैसला; ऊर्जा क्षेत्र में राहत की उम्मीद

नई दिल्ली। देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में शामिल कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने बढ़ती वैश्विक लागतों और आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव के बावजूद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कोयले की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि न करने का निर्णय लिया है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच कंपनी का यह कदम घरेलू उद्योगों और बिजली उत्पादन क्षेत्र के लिए स्थिरता का संकेत माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, हाल के महीनों में खनन और उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से विस्फोटक सामग्री में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम नाइट्रेट की कीमतों में लगभग 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि खनन कार्यों में उपयोग होने वाले औद्योगिक डीजल की कीमतें 54 प्रतिशत तक बढ़कर लगभग 92 रुपये से 142 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। इन परिस्थितियों में आमतौर पर कंपनियां लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं, लेकिन कोल इंडिया ने इस बार रणनीतिक रूप से कीमतें स्थिर रखने का फैसला किया है ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक उत्पादन पर असर न पड़े। कंपनी के इस निर्णय को सरकार की उस नीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें महंगाई को नियंत्रित रखने और बिजली दरों में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। कोल इंडिया देश में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता है और इसके मूल्य निर्धारण का सीधा असर पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ता है। यदि कंपनी कीमतें बढ़ाती, तो इसका प्रभाव सीधे बिजली उत्पादन लागत और आगे चलकर उपभोक्ता बिजली दरों पर पड़ सकता था।

हालांकि, बढ़ती लागत का असर कंपनी

के उत्पादन आंकड़ों पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में कोल इंडिया का कुल उत्पादन 768.1 मिलियन टन दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.7 प्रतिशत कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट खनन गतिविधियों में बढ़ती लागत, लॉजिस्टिक्स चुनौतियों और कुछ खदानों में परिचालन बाधाओं के कारण हुई है।

इसके बावजूद कंपनी ने यह संकेत दिया है कि वह उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश और तकनीकी सुधार पर ध्यान दे रही है। कोल इंडिया का लक्ष्य देश में बढ़ती बिजली मांग को पूरा करना है, खासकर ऐसे समय में जब औद्योगिक उत्पादन और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि कोल इंडिया का यह निर्णय न केवल उद्योगों के लिए राहत भरा है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन अभी भी भारत की ऊर्जा संरचना का बड़ा हिस्सा है, ऐसे में किसी भी मूल्य वृद्धि का असर व्यापक स्तर पर महसूस किया जाता।

इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी वित्तीय प्रणाली में बढ़ती नकदी को संतुलित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बैंकिंग सिस्टम में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के परिपक्व होने से लगभग 4.55 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए RBI ने 2 लाख करोड़ रुपये के 7-दिवसीय वैरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन की घोषणा की है।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य बाजार में नकदी प्रवाह को संतुलित बनाए रखना है, ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सके और मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। यह कदम इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की नीतियां बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने और अल्पकालिक ब्याज दरों को स्थिर रखने में मदद करती हैं। इससे निवेश और उधारी के बीच संतुलन बना रहता है, जो अंततः आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है, जहां संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। खन्ना को रिफाइनरी संचालन और ऊर्जा क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है और उन्हें मई 2029 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है।

उन्होंने अपने करियर में कोच्चि रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का सफल नेतृत्व किया है, विशेषकर महामारी के दौरान जब सप्लाई चेन और संचालन पर गंभीर चुनौतियां थीं। उनके नेतृत्व में BPCL ने न केवल अपनी रिफाइनिंग क्षमता को मजबूत किया है, बल्कि अब कंपनी 2040 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है।

कुल मिलाकर, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े ये तीन बड़े घटनाक्रम देश की आर्थिक दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। एक ओर कोल इंडिया ने महंगाई के दबाव को रोकने के लिए कीमतें स्थिर रखकर उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं दूसरी ओर RBI की मौद्रिक नीतियां और BPCL में नेतृत्व परिवर्तन देश की आर्थिक संरचना को अधिक स्थिर और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहे हैं।